



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072026-274480
CG-DL-E-14072026-274480

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3685]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2026/आषाढ 22, 1948

No. 3685]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2026/ASHADHA 22, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2026

का.आ. 3847(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम १९५६ (१९५६ का ४८) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा ३क की उप-धारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ६१ SPUR के कि.मी. १३+८८० से कि.मी. ६९+८२० जुन्नर-घोडेगाव से तळेघर सेक्शन बंकरफाटा- जुन्नर-घोडेगाव से तळेघर रोड तक के भूखंड का निर्माण (चौड़ाकरने, पेव्ड शोल्डर सहित चार/दो लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो भूमि में हितवद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा ३ग की उपधारा (१) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तथा उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन पुणे जिल्हा पुणे को लिखित रूप में किया जायगा और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा ३ग की उप-धारा (२) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौर सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ६१ SPUR के कि.मी. १३+८८० से कि.मी. ६९+८२० जुन्नर-घोडेगाव से तळेघर सेक्शन बंकरफाटा- जुन्नर-घोडेगाव से तळेघर रोड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: पुणे		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: आंबेगाव					
गांव का नाम: डिंभे खुर्द					
1	138	निजी	नम	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
2	139	निजी	नम	0.1445 (हेक्टेयर)	0.1445
3	140	निजी	नम	0.0725 (हेक्टेयर)	0.0725
4	141	निजी	नम	0.057 (हेक्टेयर)	0.057
5	142	निजी	नम	0.0116 (हेक्टेयर)	0.0116
6	143	निजी	नम	0.0363 (हेक्टेयर)	0.0363
7	144	निजी	नम	0.0654 (हेक्टेयर)	0.0654
8	145	निजी	नम	0.0712 (हेक्टेयर)	0.0712
9	146	निजी	नम	0.0645 (हेक्टेयर)	0.0645
10	147	निजी	नम	0.0504 (हेक्टेयर)	0.0504
11	148	निजी	नम	0.0651 (हेक्टेयर)	0.0651
12	151	निजी	नम	0.0218 (हेक्टेयर)	0.0218
13	158	निजी	नम	0.0664 (हेक्टेयर)	0.0664
14	161	निजी	नम	0.0309 (हेक्टेयर)	0.0309
15	162	निजी	नम	0.0196 (हेक्टेयर)	0.0196
16	163	निजी	नम	0.0117 (हेक्टेयर)	0.0117
17	164	निजी	नम	0.0228 (हेक्टेयर)	0.0228
18	165	निजी	नम	0.0136 (हेक्टेयर)	0.0136
19	167	निजी	नम	0.0194 (हेक्टेयर)	0.0194
20	169	निजी	शुष्क	0.0535 (हेक्टेयर)	0.0535

21	170	निजी	नम	0.0121 (हेक्टेयर)	0.0121
22	171	निजी	नम	0.0243 (हेक्टेयर)	0.0243
23	172	निजी	नम	0.0023 (हेक्टेयर)	0.0023
24	174	निजी	नम	0.1541 (हेक्टेयर)	0.1541
25	24	निजी	नम	0.2348 (हेक्टेयर)	0.2348
26	25	निजी	नम	0.081 (हेक्टेयर)	0.081
27	26	निजी	नम	0.111 (हेक्टेयर)	0.111
28	27	निजी	नम	0.0228 (हेक्टेयर)	0.0228
29	31	निजी	नम	0.1041 (हेक्टेयर)	0.1041
30	41	निजी	नम	0.0781 (हेक्टेयर)	0.0781
31	42	निजी	नम	0.0514 (हेक्टेयर)	0.0514
32	43	निजी	नम	0.018 (हेक्टेयर)	0.018
33	44	निजी	नम	0.0264 (हेक्टेयर)	0.0264
34	45	निजी	नम	0.0318 (हेक्टेयर)	0.0318
35	54	निजी	नम	0.0129 (हेक्टेयर)	0.0129
36	58	निजी	नम	0.021 (हेक्टेयर)	0.021
37	59	निजी	नम	0.1984 (हेक्टेयर)	0.1984
38	69	निजी	नम	0.032 (हेक्टेयर)	0.032
39	70	निजी	नम	0.0918 (हेक्टेयर)	0.0918
40	83	निजी	नम	0.0092 (हेक्टेयर)	0.0092
41	85	निजी	नम	0.0803 (हेक्टेयर)	0.0803
42	86	निजी	शुष्क	0.0152 (हेक्टेयर)	0.0152
43	87	निजी	नम	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
44	88	निजी	नम	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
Total					2.3612

[फा. सं. NH-15017/24/2024-P&M/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2026

S.O. 3847(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for Building (widening/Two lane with paved shoulder/Four laning etc) maintenance, management and operation of National

Highway No. 61 SPUR in the stretch of land from Km.13+880 to Km 69+820 Junnar-Ghodegaon to Taleghar Section Bankarphata-Junnar-Ghodegaon to Taleghar Road in the District of Pune in the state of Maharashtra

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objections to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, The Deputy Collector, Land Acquisition Pune, District Pune in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either Allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be covered under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure falling National Highway No. 61 SPUR within the stretch of the land from Km.13+880 to Km.69+820 Junnar-Ghodegaon to Taleghar Section Bankarphata-Junnar-Ghodegaon to Taleghar Road in the District of Pune in the state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: PUNE		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Ambegaon					
Village: Dimbhe Khurd					
1	138	Private	Wet	0.03 (Hectare)	0.03
2	139	Private	Wet	0.1445 (Hectare)	0.1445
3	140	Private	Wet	0.0725 (Hectare)	0.0725
4	141	Private	Wet	0.057 (Hectare)	0.057
5	142	Private	Wet	0.0116 (Hectare)	0.0116
6	143	Private	Wet	0.0363 (Hectare)	0.0363
7	144	Private	Wet	0.0654 (Hectare)	0.0654
8	145	Private	Wet	0.0712 (Hectare)	0.0712
9	146	Private	Wet	0.0645 (Hectare)	0.0645
10	147	Private	Wet	0.0504 (Hectare)	0.0504
11	148	Private	Wet	0.0651 (Hectare)	0.0651
12	151	Private	Wet	0.0218 (Hectare)	0.0218
13	158	Private	Wet	0.0664 (Hectare)	0.0664
14	161	Private	Wet	0.0309 (Hectare)	0.0309
15	162	Private	Wet	0.0196 (Hectare)	0.0196
16	163	Private	Wet	0.0117 (Hectare)	0.0117
17	164	Private	Wet	0.0228 (Hectare)	0.0228
18	165	Private	Wet	0.0136 (Hectare)	0.0136

19	167	Private	Wet	0.0194 (Hectare)	0.0194
20	169	Private	Dry	0.0535 (Hectare)	0.0535
21	170	Private	Wet	0.0121 (Hectare)	0.0121
22	171	Private	Wet	0.0243 (Hectare)	0.0243
23	172	Private	Wet	0.0023 (Hectare)	0.0023
24	174	Private	Wet	0.1541 (Hectare)	0.1541
25	24	Private	Wet	0.2348 (Hectare)	0.2348
26	25	Private	Wet	0.081 (Hectare)	0.081
27	26	Private	Wet	0.111 (Hectare)	0.111
28	27	Private	Wet	0.0228 (Hectare)	0.0228
29	31	Private	Wet	0.1041 (Hectare)	0.1041
30	41	Private	Wet	0.0781 (Hectare)	0.0781
31	42	Private	Wet	0.0514 (Hectare)	0.0514
32	43	Private	Wet	0.018 (Hectare)	0.018
33	44	Private	Wet	0.0264 (Hectare)	0.0264
34	45	Private	Wet	0.0318 (Hectare)	0.0318
35	54	Private	Wet	0.0129 (Hectare)	0.0129
36	58	Private	Wet	0.021 (Hectare)	0.021
37	59	Private	Wet	0.1984 (Hectare)	0.1984
38	69	Private	Wet	0.032 (Hectare)	0.032
39	70	Private	Wet	0.0918 (Hectare)	0.0918
40	83	Private	Wet	0.0092 (Hectare)	0.0092
41	85	Private	Wet	0.0803 (Hectare)	0.0803
42	86	Private	Dry	0.0152 (Hectare)	0.0152
43	87	Private	Wet	0.01 (Hectare)	0.01
44	88	Private	Wet	0.01 (Hectare)	0.01
Total					2.3612

[F. No. NH-15017/24/2024-P&M/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director